



मुख्यालय, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक 7153 / स्थापना/चयन/जे.गु./2018

रायपुर, दिनांक 21.08.2018

निःशक्तजनों के बैकलॉग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 13-1/2018/आ.प्र./1-3, नया रायपुर, दिनांक 31.05.2018 द्वारा निःशक्तजनों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान के तहत करने के निर्देश प्राप्त होने के फलस्वरूप मुख्यालय, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर के अधीनस्थ प्रदेश की जेलों में फार्मासिस्ट ग्रेड-02 के निःशक्तजनों के निम्न तालिका में आरक्षित निःशक्ता की श्रेणी लिए रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से विज्ञापन के संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक निःशक्तजन उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण जानकारी एवं प्रमाण-पत्रों की सत्य प्रतिलिपियों के साथ महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर-492001 के पते पर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से ही भेजें। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि 17/09/2018 को समय सायं 5.00 बजे तक होगी। इस विज्ञापित के जारी होने के पूर्व तथा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक में होने वाले किसी भी प्रकार के विलंब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। छोगो शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 27.09.2014 के अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत, निःशक्तता से ग्रस्त हो। आवेदक को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

रिक्त पदों की जानकारी :-

सो क्र०	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				योग	निःशक्तता की श्रेणी जिसके लिए पद आरक्षित है
		अना-रक्षित	अनु-सूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना-रक्षित	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग		
01	फार्मासिस्ट ग्रेड-02	-	-	02 निःशक्तजन	-	-	-	-	-	02	अस्थि बाधित (OL-One Leg, BL-Both Leg)

पद का वेतनमान एवं शैक्षणिक व तकनीकी अर्हताएं :-

क्र.	पदनाम	वेतनमान मैट्रिक्स	शैक्षणिक व तकनीकी अर्हताएं
1.	फार्मासिस्ट ग्रेड-02	वेतन लेवल-4 वेतनमान 19500-62000	10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेण्डरी विज्ञान संकाय (जीव-विज्ञान सहित) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मसी की डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण तथा नियमानुसार फार्मसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

पद हेतु कार्य की प्रकृति - जेल चिकित्सालय ड्रग स्टोर में दवाईयों का संधारण एवं मरीज बंदियों को दवाई का वितरण कार्य।

टीप:- (1) उक्त पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटी. (सी) क्रमांक 591/2012, रिट पिटी. (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटी. (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटी. (सी) क्रमांक 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यक्षीन रहेंगी एवं मान. न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

टीप:- (2) भर्ती हेतु शर्तें एवं पात्रता जेल विभाग के वेबसाईट www.jail.cg.gov.in एवं जेल मुख्यालय, छ.ग. रायपुर/केन्द्रीय जेल, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर एवं दुर्ग के सूचना फलक पर देखी जा सकती है।

अन्य अनिवार्य अर्हताएं :-

(1) (क) उक्त पदों के लिये दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए।

टीप- "छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी। "

(ख) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गयी सीमा तथा शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी।

अर्थात् :-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्य भारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से पूर्व में की गई समस्त स्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि 01 से अधिक बार की गयी हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

- (ड.) भूतपूर्व सैनिकों के लिये उच्चतर आयु सीमा में छूट 03 वर्ष।
- (च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पति के संवर्ण पति/पत्नी के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को, अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन-कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा 08 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- (त) छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-2/2002/1/3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 के द्वारा जारी किए गए निर्देश के पैरा (3) के अनुसार छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, परन्तु उक्त पैरा (5) के अनुसार अन्य विशेष वर्ग जैसे-छ.ग. के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उम्मीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (2) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबन्धित अभ्यर्थियों को चयन की दशा में उच्च स्तरीय छानबीन समिति कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अस्थाई जाति प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- (3) उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड का Disability प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- (4) आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
- (5) रोजगार कार्यालय में आवेदक का विज्ञापन तिथि के पूर्व का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- (6) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (7) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- “परन्तु कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरहित नहीं होगा।”

सामान्य निर्देश व शर्तें –

- (1) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी दक्षता, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ का निवास एवं स्थायी जाति प्रमाण-पत्र (छानबीन) एवं रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
- (2) आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित रंगीन फोटो लगाना होगा।
- (3) सभी आवश्यक सहपत्रों सहित पूर्णतया भरा आवेदन पत्र मुख्यालय, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर पिन-492001 में दिनांक 17 सितम्बर, 2018 सांय 5.00 बजे तक अथवा पूर्व प्राप्त होना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं वे स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा।
- (4) लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट लिखा जावे।
- (5) भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने के अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।
- (6) चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- (7) उपरोक्त विज्ञापित पद की संख्या परिवर्तनीय होगी जिसे बढ़ाया/कम किया जा सकता है।
- (8) उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिये किसी भी जरिये से सहायता प्राप्त करने हेतु किया गया कोई भी प्रयास समिति द्वारा उम्मीदवार को चयन करने के लिये अनर्हकारी ठहरा देगा।
- (9) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत उम्मीदवार द्वारा अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

चयन विधि –


- (1) फार्मासिस्ट गेड-02 पद के लिए उम्मीदवारों का चयन भर्ती नियम में निर्धारित तकनीकी शैक्षणिक अर्हता में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर (प्रथमतः एम. फार्मेसी के प्राप्तांकों के मेरिट सूची के आधार पर, एम. फार्मेसी के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर बी. फार्मेसी के प्राप्तांकों के मेरिट सूची के आधार पर तथा बी. फार्मेसी के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर डी. फार्मेसी के प्राप्तांकों के मेरिट सूची के आधार पर) किया जावेगा।
- (2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 02 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी।

महत्वपूर्ण सूचना –

1. पद के लिये निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता की पूर्ति करना आवश्यक है। आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भेजें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।

2. प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्रों में वांछित सभी जानकारी देखकर सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें, यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण पायी जाती है, तो आवेदक को बिना सूचना दिये आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

संलग्न:- आवेदन पत्र का प्रारूप एवं घोषणा पत्र



(गिरिधारी नायक)

महानिदेशक

जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं

छत्तीसगढ़ रायपुर

आवेदन पत्र का प्रारूप

(आवेदक द्वारा स्वच्छ एवं स्पष्ट अक्षरों में स्वयं भरा जावे)

प्रति,

महानिदेशक,
जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं,
छत्तीसगढ़ रायपुर

आवेदक	अपना
नवीनतम	रंगीन
पासपोर्ट	फोटो
राजपत्रित	अधिकारी
द्वारा	सत्यापित
करवाकर	चस्पा करें

01. आवेदित पद का नाम
02. आवेदक का पूरा नाम
03. लिंग

04. पिता/पति का नाम
05. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में)

(ब) स्थाई पता (हिन्दी में)

06. जन्म तिथि (अंकों में)
(शब्दों में)

07. दिनांक 01.01.2018 को आयु

वर्ष	माह	दिन

08. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हां/नहीं
09. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य है ? हां/नहीं

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र/छानबीन समिति का सत्यापित प्रति संलग्न करें)

10. अनुसूचित जनजाति वर्ग अंकित करें
11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक/दिनांक/वैधता दिनांक
12. शैक्षणिक योग्यता विद्यालय के नाम सहित -

क्र.	परीक्षा का नाम	विषय	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांको का प्रतिशत
1.							
2.							

(अंकसूची एवं प्रमाण पत्रों की स्वसत्यापित प्रति संलग्न करें)

13. निःशक्तता की श्रेणी
14. निःशक्तता का प्रतिशत
15. निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा अधिकारी के नाम एवं पदनाम का ब्यौरा (प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे)
16. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ?
(यदि हां तो सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
17. क्या आप शासकीय/अर्द्ध शासकीय कर्मचारी तथा छ.ग. राज्य/निगम/मंडल के स्थाई/अस्थायी कर्मचारी हैं ?
(यदि हां तो उसका पूरा विवरण लिखें और विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
18. क्या आप शासकीय सेवा के लिये मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य
- ठहराये गये हैं ?
19. क्या आप किसी अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार किये गये हैं ?
- (यदि हां तो निरूद्ध हुए हैं, जुर्माना हुआ है या आप किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं, तो पूर्ण विवरण दिया जावे साथ ही अपराध क्रमांक/धारा/थाना/जिला व प्रदेश सहित पूर्ण विवरण दर्शावें)
20. क्या वर्तमान में किसी न्यायालय/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय
- या किसी शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है, (यदि हां तो विवरण दें)
21. क्या आप विवाहित हैं? हां/नहीं
22. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि
23. जीवित बच्चों की संख्या

स.क्र.	नाम	लिंग	जन्म-तिथि

24. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर एवं नाम

स्थान :

दिनांक :

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी जहां तक मेरा विश्वास है, सही है और पूर्ण है, मैं ऐसी किसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तताक्षीण होती हो, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपरोक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जावे तो नियुक्ति प्राधिकारी को मुझे बिना सूचना दिये या बिना कारण बताये मेरी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा और उनका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा।

स्थान :

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम

दिनांक :